संख्या 5.21/प.व.नि0 अनु0/2019
वन अनुसंधान संस्थान,
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्)
डाकघर न्यू फॉरेस्ट, देहरादून।

दिनांक 02 अप्रेल, 2019

नोटिस

वन अनुसंधान परिसर को हरित परिसर बनाने के क्रम में भ्रमण पर आने वालें आगन्तुकों एवं परिसर वासियों की सेवा हेतु ट्रेवर गेट व कौलागढ़ से मुख्य भवन तक कुल 06 ई–रिक्शों के संचालन का प्रस्ताव है। इस क्रम में इच्छुक ई–रिक्शा संचालकों से निधांरित प्रारूप में निम्न व शर्तो के आधार पर आवेदन आमंत्रित किया जाता है जो निम्नवत है–

(1) वन अनुसंधान परिसर में भ्रमण पर आने वाले आगन्तुकों हेतु ट्रेवर गेट एवं कौलागढ़ गेट से मुख्य भवन तक आने जाने हेतु ई–रिक्शा का संचालन किया जायेगा।
(2) पहले प्राप्त कुल छः (06) ई–रिक्शा आवेदनों को ही अनुमति दी जायेगी। (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा)।
(3) आवेदित ई–रिक्शा का पंजीकरण, वाहन बीमा, चालक का ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है (आवेदन के साथ प्रतिलिपि संलग्न करना होगा)
(4) ई–रिक्शा का किराया 10 रु0 प्रतियात्री निर्धारित किया गया है जिसे भविष्य में घटाया या बढाया जा सकता है।
(5) ई–रिक्शा संचालन हेतु चालक/संचालक को अनुवन्ध शुल्क रूपये 100/प्रतिवर्ष लेखा अनुभाग को जमा कराना होगा एवं उसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
(6) चालक को ई–रिक्शा संस्थान के गेटों एवं मुख्य भवन के पास सुरक्षा अधिकरी द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग करनी होगी।
(7) ई–रिक्शा चालक अथवा संचालक को संस्थान परिसर के अन्य नियमों का भी अनुपालन करना होगा।
(8) अनुबन्ध को किसी भी समय संस्थान निदेशक द्वारा रद्द किया जा सकता है।

आवेदक प्रार्थना पत्र का प्रारूप संस्थान के नियंत्रण कक्ष से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक अपना आवेदन कुलसचिव, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के नाम निर्धारित प्रारूप में सभी संलग्नकों के साथ भरकर पहरा एवं निगरानी कार्यालय को 07 दिन के भीतर 08.5.19 तक जमा करवा सकता है।

आरती चौधरी
कुलसचिव
वन अनुसंधान संस्थान

वितरणः– वनं अंनुसंधान संस्थान के–
सभी नोटिस बोर्ड
सभी गेट
एफ आर आई वेबसाईट
नियत्रण कक्ष